

झारखण्ड सरकार
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची-834002

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

संबंधित सिविल सर्जन, झारखण्ड।
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

राँची/दिनांक : 24/06/2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2026-27 के व्यय हेतु मांग संख्या-20 स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-एलोपैथी 101- स्वास्थ्य उप केन्द्र-02-स्वास्थ्य उप केन्द्र के अन्तर्गत कुल ₹ 5,15,42,000/- (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार) का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन संलग्न Online आवंटन के विवरणी में स्वा0 उपकेन्द्र को व्यय हेतु आवंटन संसूचित किया जाता है:-

क्रमांक	मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष/ उपशीर्ष	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1.	मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा साथ लोक स्वास्थ्य	03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी	101- स्वास्थ्य उप केन्द्र/02- स्वास्थ्य उप केन्द्र	₹ 5,15,42,000/- (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार)

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं 1800(वि) दिनांक 15.07.2003 तथा 1681/वि0 दिनांक 10.06.2015 के आलोक में होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र होंगे, जो अपने अधीनस्थ स्वास्थ्य केन्द्र के लिए राशि की निकासी करेंगे। विभागीय पत्रांक - 20(7), दिनांक - 15.04.2025 के आलोक में संबंधित जिले के सिविल सर्जन (संलग्न विवरणी के अनुसार) प्राप्त राशि को संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को उपआवंटित करेंगे।

4. इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

5. राशि की निकासी के पूर्व विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे कि विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

6. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन0एच0एम0 से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी स्वास्थ्य केन्द्रवार अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

11. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

12. दवा क्रय में निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय :-

I. वैसे दवा का क्रय किया जाएगा जिसका दर निर्धारण (Rate Contract) निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया गया है एवं दर निर्धारण की Validity Period समाप्त नहीं हुआ है।

II. वैसे दवा जिसका दर निर्धारण निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, झारखण्ड की सूची में नहीं हो अथवा दर निर्धारण अवधि समाप्त हो चुका हो। ऐसे दवाओं का क्रय Priority Basis पर किया जाएगा जिसकी संबंधित केन्द्र पर अत्याधिक आवश्यकता हो।

III. EDL के अनुसार सभी स्तर के अस्पतालों/ केन्द्रों के लिए दवाओं का नाम चिह्नित है। अनावश्यक रूप से अधिक दवाओं का क्रय संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा अन्यथा इसके लिए वे व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। दवाओं के तिथिवाद होने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

IV. आवश्यक एवं मौसमी बीमारी की दवाओं को प्राथमिकता दी जाय। आवश्यकता आधारित अगले चार माह तक ही दवा की खरीद की जाय।

V. दवाओं के क्रय में साँप काटने तथा कुत्ता काटने के कारण दी जाने वाली दवा की उपलब्धता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

VI. क्रय किए गए दवाओं का Shelf Life कम से कम उसकी पूरी अवधि का 80 प्रतिशत होनी चाहिए।

VII. अस्पताल में उपलब्ध दवाओं की सूची जन साधारण के अवलोकनार्थ अस्पताल के सूचना पट्ट के निकट अथवा किसी अन्य उचित स्थान पर प्रदर्शित की जानी चाहिए।

VIII. सिविल सर्जन जिला के एक वरीय चिकित्सा पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित करेंगे जो जिले के सभी अस्पतालों में दवा की उपलब्धता का लगातार अनुश्रवण करेंगे एवं नियमित रूप से इसका प्रतिवेदन सिविल सर्जन को देंगे। सिविल सर्जन दवा की उपलब्धता को मासिक रूप से निदेशालय के उनके जिला के नोडल पदाधिकारी को सूचित करेंगे।

IX. सभी सिविल सर्जन/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी दवाओं की उपलब्धता का आकलन करेंगे, जिन दवाओं की अगले तीन-चार माह में आवश्यकता हो, सिर्फ उन्ही दवाओं की मात्रा के अनुरूप निविदा निर्धारित प्रक्रिया के तहत क्रय कर सकेंगे। यदि दवा क्रय करने की आवश्यकता नहीं हो तो शीघ्र राशि प्रत्यर्पित करेंगे न कि मार्च 2027 में प्रत्यर्पण की कार्रवाई करेंगे।

13. इस राशि से दवाओं के क्रय के उपरान्त व्यय विवरणी विभाग को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

26(7)ब

24/06/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

14. स्वास्थ्य निदेशालय के पत्रांक 1644 (25) दिनांक 01.09.2017 के द्वारा निदेश है कि प्रेषित 60 दवाओं की सूची (Fast Moving Drugs) जिनकी उपलब्धता 25 प्रतिशत बफर स्टॉक के साथ अस्पतालों/स्वास्थ्य केन्द्रों में बनाया रखना आवश्यक है, में से वैसी दवाएँ जो वर्तमान में रांची स्थित निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध है तथा क्रय एवं आपूर्ति की प्रक्रिया में है, को छोड़कर शेष दवाओं के क्रय हेतु सभी जिलों को आवंटन निर्गत किया जा रहा है।

निगम के वेयर हाउस में उपलब्ध दवाओं में से यदि कोई दवा समाप्त हो जाये तो वैसी परिस्थिति में निगम की सहमति से उक्त दवा का क्रय जिलों/संस्थानों द्वारा प्राप्त आवंटन से किया जाए।

15. दवा क्रय के संबंध में विभागीय पत्रांक 04 (7) दिनांक 11.01.2019 के आलोक में स्पष्ट निदेश दिया गया है कि प्रबंध निदेशक, झारखण्ड मेडिकल एण्ड हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट एण्ड प्रोक्यूरमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड, नामकुम, रांची द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली/करायी जा रही दवाओं को छोड़कर अन्य दवाओं का क्रय वास्तविक आवश्यकता का आकलन करते हुए किया जाए ताकि दवाओं के क्रय में किसी भी प्रकार के दोहरीकरण की संभावना न हो। यदि सूची से कोई दवा खरीद करनी हैं, तो संबंधित अधीक्षक द्वारा इस विषय पर लिखित औचित्य/आवश्यकता/आकस्मिकता को अंकित किया जाए।

16. विभागीय संकल्प संख्या 102 (6) दिनांक 09.02.2021 द्वारा राज्य के सभी वर्गों के अस्पतालों में निरंतर तथा नियमित रूप से दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत भारत सरकार के 05 औषधि निर्माता उपक्रमों से मनोनयन के आधार पर क्रय कर राज्य सरकार के विभिन्न अस्पतालों को आपूर्ति किए जाने के निमित्त उत्पादित 103 जेनरिक जीवन रक्षक दवाओं को क्रय किए जाने की स्वीकृति से संबंधित दिशा निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। साथ ही उक्त के संबंध में विभागीय पत्रांक 149 (21) दिनांक 28.07.2022 में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

17. दवा मद में आवंटित राशि की निकासी दवा क्रय करने हेतु E-Tender/ GeM के तहत सारी विहित प्रक्रियाएँ पूरी करने के पश्चात करना सुनिश्चित किया जाए।

18. दवा का क्रय नियमानुसार करते हुए क्रय किये गये दवाओं की प्रविष्टि आवश्यक रूप से स्टॉक पंजी में किया जाय।

19. प्रत्येक माह स्वयं सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन किया जाय। विभाग से दवा भण्डार मद में आवंटन की मांग करने से पूर्व सिविल सर्जन द्वारा स्टॉक पंजी का सत्यापन करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र Invoice की प्रतिहस्ताक्षरित प्रति के साथ उपलब्ध कराया जाय।

20. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निदेशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।


21. . वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्रवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

22. स्वास्थ्य उप केन्द्र के आवंटन के संबंध में सभी पत्राचार संबंधित सिविल सर्जन के द्वारा ही किया जाए। किसी भी परिस्थिति में इन ईकाइयों द्वारा विभाग से इस विषय पर सीधे पत्राचार नहीं किया जायेगा।


23. प्रत्येक माह आवंटित राशि के विरुद्ध की गई निकासी की विवरणी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

26(7) अ
24/06/2026


विश्वासभाजन



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-14/2026 ~~26(7)ब~~/स्वा0,राँची,दिनांक- 24/06/2026
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट शाखा), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक-7/स्थापना व्यय-आवंटन-14/2026 ~~26(7)ब~~/स्वा0,राँची,दिनांक- 24/06/2026
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/सभी कोषागार
पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड के आप्त
सचिव/अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड
के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


(शिवजी वर्मा)
सरकार के अवर सचिव


(सीमा कुमारी उदयपुरी)
सरकार के संयुक्त सचिव


(संदीप कुमार दोराईबुरु)
सरकार के अपर सचिव


(अजय कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	पूर्व में आवंटित राशि	आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	0	730000	730000
2	कार्यालय उपकरण	0	7200000	7200000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	0	9200000	9200000
4	वर्दी	0	90000	90000
5	चिकित्सकीय आपूर्ति	0	30500000	30500000
6	विद्युत व्यय	0	3822000	3822000
	कुल	0	51542000	51542000

आवंटन का सारांश

क्रमांक	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	आवंटित राशि
1	कार्यालय व्यय	20S22100310102000315	730000
2	कार्यालय उपकरण	20S22100310102000317	7200000
3	आपूर्ति एवं सामग्री	20S22100310102000323	9200000
4	वर्दी	20S22100310102000334	90000
5	चिकित्सकीय आपूर्ति	20S22100310102000336	30500000
6	विद्युत व्यय	20S22100310102000337	3822000
	कुल आवंटित राशि ₹ 5,15,42,000 /- (पाँच करोड़ पन्द्रह लाख बयालीस हजार)		51542000

26(7) अ

24/06/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(संदीप कुमार दोराईबुरु)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

Sl.No.	District	सीडीओ	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	कुल
1	Bokaro	BKRMED001	30,000	5,00,000	2,00,000		10,00,000		17,30,000
2	Chaibasa	SGHMED075	30,000	5,00,000	5,00,000	40,000	20,00,000	10,00,000	40,70,000
3	Chatra	CTRMED013	30,000	4,00,000	4,00,000	25,000	15,00,000	8,70,000	32,25,000
4	Deoghar	DGRMEDD52	30,000	2,50,000	5,00,000		10,00,000		17,80,000
5	Dhanbad	DHNMED072	30,000	2,50,000	2,50,000		10,00,000		15,30,000
6	Dumka	DMKMED079	30,000	5,00,000	7,00,000		25,00,000	4,00,000	41,30,000
7	Garwah	GRHMED001	30,000	2,50,000	2,50,000		10,00,000		15,30,000
8	Giridih	GRDMED003	30,000	2,00,000	4,00,000		10,00,000		16,30,000
9	Godda	GDDMED010	30,000	2,50,000	2,50,000		10,00,000		15,30,000
10	Gumla	GMLMED010	30,000	2,00,000	2,50,000		10,00,000		14,80,000
11	Hazaribagh	HZBMED069	40,000	3,00,000	5,00,000		10,00,000		18,40,000
12	Jamshedpur	JSRMED031	40,000	2,00,000	4,00,000	25,000	10,00,000	5,00,000	21,65,000
13	Jamtara	JMTMED058	30,000	2,00,000	2,50,000		10,00,000	2,52,000	17,32,000
14	Khunti	KHNMEDL05	30,000	8,00,000	10,00,000		45,00,000		63,30,000
15	Koderma	KDMMEDA09	30,000	2,00,000	2,50,000		10,00,000		14,80,000
16	Latehar	LTRMED047	30,000	2,00,000	2,50,000		10,00,000		14,80,000
17	Lohardaga	LDGMED008	30,000	1,50,000	2,00,000		15,00,000		18,80,000
18	Pakur	PKRMED009	30,000	2,50,000	2,00,000		10,00,000		14,80,000
19	Palamu	PLMMED002	40,000	5,00,000	5,00,000		10,00,000		20,40,000
20	Ranchi	RNCMED013	40,000	5,00,000	10,00,000		10,00,000		25,40,000
21	Sahebganj	SBJMED001	30,000	2,00,000	4,00,000		15,00,000	8,00,000	29,30,000
22	Seraikela	SKLMED112	30,000	2,00,000	3,00,000		10,00,000		15,30,000
23	Simdega	SDGFMW020	30,000	2,00,000	2,50,000		10,00,000		14,80,000
	Grand Total		7,30,000	72,00,000	92,00,000	90,000	3,05,00,000	38,22,000	5,15,42,000

26(7)A
24/06/2026

(शिवजी वर्मा)

सरकार के अवर सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

(सदीप कुमार दोराईबुरू)

सरकार के अपर सचिव

(अजय कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव

SI No	TREASURY	DDO CODE	DDO NAME	DDO DESG	कार्यालय व्यय	कार्यालय उपकरण	आपूर्ति एवं सामग्री	वर्दी	चिकित्सकीय आपूर्ति	विद्युत व्यय	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bokaro	BKRMED001	Dr. Abhoy Bhusan Prasad	Civil Surgeon, Bokaro	₹30,000.00 (33969)	₹5,000.00 (34001)	₹2,000.00 (34026)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34053)	₹0.00	₹17,30,000.00
2	Singhbhum West	SGHMED075	Jujhar Majhi	Civil Surgeon Cum C.M.O.Cbsa	₹30,000.00 (33970)	₹5,000.00 (34002)	₹5,000.00 (34027)	₹40,000.00 (34050)	₹20,00,000.00 (34054)	₹10,00,000.00 (34080)	₹40,70,000.00
3	Chatra	CTRMED013	Satyendra Kumar Sinha	Cs Cum Cmo Chatra	₹30,000.00 (33971)	₹4,000.00 (34003)	₹4,000.00 (34029)	₹25,000.00 (34051)	₹15,00,000.00 (34055)	₹8,70,000.00 (34082)	₹32,25,000.00
4	Deoghar	DGRMED052	Ramesh Kumar	Civil Surgeon Cum Cmo Deoghar	₹30,000.00 (33972)	₹2,50,000.00 (34004)	₹5,000.00 (34030)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34056)	₹0.00	₹17,80,000.00
5	Dhanbad	DHNMED072	Dr. Alok Bishwakarma	C.S. Cum C.M.O. Dhanbad	₹30,000.00 (33973)	₹2,50,000.00 (34005)	₹2,50,000.00 (34031)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34057)	₹0.00	₹15,30,000.00
6	Dumka	DMKMED079	Dr. Kamleshwar Prasad	C.S. Cum C.M.O. Dumka	₹30,000.00 (33974)	₹5,000.00 (34006)	₹7,000.00 (34032)	₹0.00	₹25,00,000.00 (34058)	₹4,00,000.00 (34083)	₹41,30,000.00
7	Garhwa	GRHMED001	Dr. John Fitzgerald Kennedy	C.S. Cum C.M.O. Garhwa	₹30,000.00 (33975)	₹2,50,000.00 (34007)	₹2,50,000.00 (34033)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34059)	₹0.00	₹15,30,000.00
8	Giridih	GRDMED003	Bachcha Prasad Singh	C.S. Cum C.M.O. Giridih	₹30,000.00 (33977)	₹2,00,000.00 (34008)	₹4,000.00 (34034)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34060)	₹0.00	₹16,30,000.00
9	Godda	GDDMED010	Subhash Chandra Sharma	Civil Surgeon Godda	₹30,000.00 (33978)	₹2,50,000.00 (34009)	₹2,50,000.00 (34035)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34061)	₹0.00	₹15,30,000.00
10	Gumla	GMLMED010	Dr. Shambhu Nath Choudhary	C.S. Cum C.M.O. Gumla	₹30,000.00 (33980)	₹2,00,000.00 (34010)	₹2,50,000.00 (34036)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34062)	₹0.00	₹14,80,000.00
11	Hazaribagh	HZBMED069	Ashok Kumar	C.S -Cum-Cmo Hzb	₹40,000.00 (33982)	₹3,00,000.00 (34011)	₹5,000.00 (34037)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34064)	₹0.00	₹18,40,000.00
12	Jamshedpur	JSRMED031	Dr. Shahir Pall	C.S. Cum C.M.O. Jamtara.	₹40,000.00 (33984)	₹2,00,000.00 (34012)	₹4,000.00 (34038)	₹25,000.00 (34052)	₹10,00,000.00 (34065)	₹5,00,000.00 (34085)	₹21,65,000.00
13	Jamtara	JMTMED058	Shiv Prasad Mishra	C.S. Cum C.M.O. Jamtara.	₹30,000.00 (33986)	₹2,00,000.00 (34013)	₹2,50,000.00 (34039)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34066)	₹2,52,000.00 (34086)	₹17,32,000.00
14	Khunti	KHNMED05	Lalit Ranjan Pathak	Civil Surgeon Cum Cmo, Khunti	₹30,000.00 (33988)	₹8,000.00 (34014)	₹10,000.00 (34040)	₹0.00	₹45,00,000.00 (34067)	₹0.00	₹63,30,000.00
15	Koderma	KDMMEDA09	Anil Kumar	C.S Koderma	₹30,000.00 (33990)	₹2,00,000.00 (34016)	₹2,50,000.00 (34041)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34068)	₹0.00	₹14,80,000.00
16	Latehar	LTRMED047	Raj Mohan Khalkho	C.S, Cum, C.M.O. Latehar	₹30,000.00 (33993)	₹2,00,000.00 (34017)	₹2,50,000.00 (34042)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34069)	₹0.00	₹14,80,000.00
17	Lohardaga	LDGMED008	Raju Kachhap	C.S. Cum C.M.O. Lohardaga	₹30,000.00 (33994)	₹1,50,000.00 (34019)	₹2,00,000.00 (34043)	₹0.00	₹15,00,000.00 (34070)	₹0.00	₹18,80,000.00
18	Pakur	PKRMED009	Surendra Kumar Mishra	Cs-Cum-Cmo Pakur	₹30,000.00 (33995)	₹2,50,000.00 (34020)	₹2,00,000.00 (34044)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34071)	₹0.00	₹14,80,000.00
19	Palamu	PLMMED002	Anil Kumar Srivastwa	C.S. Palamau	₹40,000.00 (33996)	₹5,00,000.00 (34021)	₹5,00,000.00 (34045)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34072)	₹0.00	₹20,40,000.00
20	Ranchi	RNCMED013	Prabhat Kumar	C.S. Cum C.M.O. Ranchi	₹40,000.00 (33997)	₹5,00,000.00 (34022)	₹10,00,000.00 (34046)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34073)	₹0.00	₹25,40,000.00
21	Sahibganj	SBJMED001	Ramdeo Paswan	C.S. Cum C.M.O. Sbg	₹30,000.00 (33998)	₹2,00,000.00 (34023)	₹4,00,000.00 (34047)	₹0.00	₹15,00,000.00 (34074)	₹8,00,000.00 (34087)	₹29,30,000.00
22	Saraikeela	SKLMED112	Sartu Prasad Singh	C.S-Cum-C.M.O. Saraikeela	₹30,000.00 (33999)	₹2,00,000.00 (34024)	₹3,00,000.00 (34048)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34075)	₹0.00	₹15,30,000.00
23	Simdega	SDGFMW020	Sundar Mohan Samad	Civil Surgeon, Simdega	₹30,000.00 (34000)	₹2,00,000.00 (34025)	₹2,50,000.00 (34049)	₹0.00	₹10,00,000.00 (34077)	₹0.00	₹14,80,000.00

कुल आवंटित राशि :- ₹5,15,42,000.00 (पाँच करोड़ पंद्रह लाख ब्यालीस हजार) रुपये मात्र |

टिप्पणी :- (#) को आबंटन ऐक्सिस नंबर समझा जाए

26/7/26
24/06/2026

(Signature)
(AJAY KUMAR SINGH)
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY